न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ।

पीठासीन अधिकारी :— **अशोक अरीजा आर.ए.एस**

प्रकरण संख्याः 25 / 2021

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ। प्रार्थी

बनाम

राकेश पुत्र पतराम निवासी पूरबसर तह0 रावतसर जिला हनुमानगढ अप्रार्थी

मुकदमा अर्न्तगत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

उपस्थितः— 1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता।
2 श्री रामकुमार कस्वां अप्रार्थी अधिवक्ता।

—:निर्णयः—

दिनांकः— 09.04.2021

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.03.2021 को जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ हमराह प्रवर्तन अधिकारी के साथ पेट्रोल डीजल की अवैध तस्करी, भण्डारण एवं परिवहन की रोकथाम विरूद्ध अभियान के तहत चाहुवाली तह0 टिब्बी नाका लगाकर जांच हेतु में उपस्थित हुए। मौके पर हरियाणा बॉर्डर से आती हुई बोलेरो वाहन नम्बर RJ-31-GA-8742 को रूकवाकर वाहन की तलाश ली गई। मौके पर उपस्थित गवाहों के समक्ष तलाशी के दौरान 820 लीटर डीजल मय 4 प्लास्टिक ड्रम मिले। वाहन चालक ने स्वयं का नाम राकेश पुत्र पतराम उम्र 30 वर्ष जाति जाट निवासी पूरबसर तह0 रावतसर का होना बताया। मुताबिक राकेश उक्त कैम्पर में भरा समस्त डीजल हरियाणा स्थित पेट्रोल पम्प से खरीद करना बताया एवं डीजल के उपयोग एवं परिवहन के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया एवं न ही कोई वैध दस्तावेज लाईसेंस, परमिट आदि होना बताया। मौके पर पाये गये 820 लीटर डीजल मय 4 प्लास्टिक ड्रम के संबंध में कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं अवैध भण्डारण एवं कारोबार स्पष्ट होने के कारण 820 लीटर डीजल मय 4 प्लास्टिक ड्रम को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। जब्त की गई उक्त सामग्री श्री प्रीतपाल सिंह पुत्र अमरसिंह उम्र 38 वर्ष जाति जटसिख हाल उचित मूल्य दुकानदार चाहुवाली तह0 टिब्बी को सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार राकेश पुत्र पतराम निवासी पूरबसर तह0 रावतसर द्वारा बिना किसी परमिट, अनुज्ञापत्र डीजल का अवैध परिवहन, भण्डारण एव कारोबार मे संलिप्तता पाये जाने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और सपठित मोटर स्प्रिट और उच्चवेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 4 का उल्लंघन किया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत 6ए प्रस्तुत कर राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ द्वारा निवेदन किया गया कि जब्त बोलेरो वाहन नम्बर RJ-31-GA-8742 मय 820 लीटर डीजल मय 4 प्लास्टिक ड्रम को राजसात करने के आदेश फरमावे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। जब्तशुदा डीजल को ज्वलनशील पदार्थ होने से जानमाल की हानि की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 23.03.2021 को दिये जा चुके है।

अप्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक पत्रावली को पेशी से पूर्व सुनने हेतु निवेदन करने पर दिनांक 25.03.2021 को पेशी में ली गयी। दिनांक 25.03.2021 को जवाब नोटिस, प्रार्थना पत्र बाबत सुपुर्दगी पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कि प्रार्थी पूरबसर का निवासी है एवं हरियाणा राज्य नजदीक होने व वहां डीजल का मूल्य कम होने के कारण अपने ट्रैक्टरो, इंजन हेतु डीजल लाते हैं। जिसका बिल मौके पर जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को दिखा दिया था। 820 लीटर डीजल परिवहन करने हेतु राजस्थान राज्य एव भारत वर्ष मे आपराधिक कृत्य नहीं है, ना ही इस हेतु किसी लाईसेन्स अथवा परमिट की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा 2500 लीटर डीजल परिवहन करने की छूट दी गई है एव राजस्थान राज्य मे 1000 लीटर तक कोई भी व्यक्ति डीजल परिवहन करता है तो वह किसी प्रकार से दण्डनीय अपराध नहीं है। सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि वाहन विभाग मे खडा रहने से उसका रंग रोगन, टायर ट्यूब ईंजन खराब हो जाने

आशंका है, जिससे प्रार्थी को नुकसान होगा। प्रार्थी उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर लेना हता है। प्रार्थी न्यायालय के आदेश की पालना हेतु तत्पर रहेगा।

अतः अप्रार्थी के विरूद्ध स्टेट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर अप्रार्थी की जब्त बोलेरो वाहन नम्बर RJ-31-GA-8742 मय 820 लीटर डीजल मय 4 प्लास्टिक ड्रम को वापस लौटाये जाकर जब्ती की कार्यवाही निरस्त करने का निवेदन किया है।

बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा जब्तशुदा डीजल को ड्रम के साथ जब्त किया गया है। अप्रार्थी द्वारा उक्त डीजल की जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस व परमिट के अवैध डीजल तेल रखना व परिवहन करना राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा डीजल मय वाहन राजसात किया जावे।

अप्रार्थी ने जवाब प्रा0पत्र व सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी के अप्रार्थी के बोलेरो वाहन नम्बर RJ-31-GA-8742 मय 820 लीटर डीजल मय 4 प्लास्टिक ड्रम जब्त हुआ है। प्रार्थी पूरबसर का निवासी है एवं हरियाणा राज्य नजदीक होने व वहां डीजल का मूल्य कम होने के कारण अपने ट्रैक्टरों, इंजन हेतु डीजल लाते हैं। जिसका बिल मौके पर जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को दिखा दिया था। 820 लीटर डीजल परिवहन करने हेतु राजस्थान राज्य एवं भारत वर्ष में आपराधिक कृत्य नहीं है, ना ही इस हेतु किसी लाईसेन्स अथवा परमिट की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा 2500 लीटर डीजल परिवहन करने की छूट दी गई है एवं राजस्थान राज्य में 1000 लीटर तक कोई भी व्यक्ति डीजल परिवहन करता है तो वह किसी प्रकार से दण्डनीय अपराध नहीं है। अतः जब्तशुदा वाहन मय डीजल अप्रार्थी को लौटाकर प्रार्थी (अप्रार्थी सं0 01) के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अनुसार अप्रार्थी द्वारा उक्त डीजल की जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, न ही डीजल के उपयोग एवं परिवहन के संबंध में सन्तोषजनक जवाब दिया। तलाशी के दौरान अप्रार्थी ने यह भी सिद्ध नहीं किया कि उसके पास कितनी कृषि भूमि है, जिसके लिए उसे लगातार डीजल का परिवहन करना पड़ रहा है। अप्रार्थी ने कोई ट्रैक्टर के स्वामित्व के दस्तावेजों एवं कृषि भूमि के दस्तावेज यथा जमाबंदी आदि प्रस्तुत नहीं किये। इस प्रकार अप्रार्थी का निजी उपयोग हेतु डीजल व पेट्रोल का परिवहन किये जाने का तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है। यह पश्चातवर्ती (After thought) तर्क है। पत्रावली के संपूर्ण अवलोकन से अप्रार्थी का उक्त कृत्य 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है।

अतः प्रार्थी राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ का प्रार्थना पत्र अंतर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर 820 लीटर डीजल मय 4 प्लास्टिक ड्रम को इस न्यायालय द्वारा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 23.03.2021 को दिये जा चुके हैं, को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

जहां तक जब्तशुदा बोलेरो वाहन नम्बर RJ-31-GA-8742 का प्रश्न है, वाहन मालिक के विरूद्ध दुबारा पुनरावर्ती नहीं हो कि चेतावनी के साथ केवल मात्र इस न्यायालय में दर्ज उक्त दर्ज धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रकरण में जब्तशुदा बोलेरो वाहन नम्बर RJ-31-GA-8742 को जब्ती से निम्नानुसार सशर्त बागुजार (मुक्त) किया जाता है।

अतः जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को आदेश दिये जाते हैं कि रजिस्टर्ड मालिक द्वारा वाहन के मालिकाना दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर उक्त जब्तशुदा बोलेरो वाहन नम्बर RJ-31-GA-8742 के इंजिन नं0 व चैसिस नम्बर, वाहन की पंजीयन कॉपी (आरसी) से मिलान सही पाये जाने पर नियमानुसार वाहन मालिक को सौंप दिया जाये। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.04.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक असीजा)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ